प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (P.M.F.B.Y.)

सुरक्षित किसान, देश का अभिमान

राजस्थान सरकार एवं भारत सरकार द्वारा क्रियान्वित

HDFC ERGO
Take it easy!

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पी.एम.एफ.बी.वाई.) का लक्ष्य है, किसान बंधुओं को प्राकृतिक आपदाओं, कीटों और बीमारियों के हमलों के कारण किसी अधिसूचित फसल की विफलता की दशा में बीमा संरक्षण और आर्थिक सहायता प्रदान करना।

इस प्रकार यह योजना किसानों की आमदनी को एक स्थिरता दे रही है तथा उन्हें अपनी खेती को जारी रखने और खेती के नए–अनूठे व आधुनिक तौर–तरीकों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है।

कौन इसका फ़ायदा ले सकता है?

सभी किसान, जिनमें साझे पर और बँटाई पर अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसलों की खेती करने वाले भी शामिल हैं, इस संरक्षण के पात्र हैं। लेकिन किसानों का अधिसूचित/बीमित फसलों पर बीमायोग्य हित होना चाहिए। ऋणी किसानों के लिए यह बीमा संरक्षण लेना अनिवार्य है।

क्या संरक्षित है?

भारत सरकार द्वारा स्वीकृत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए संशोधित मार्गदर्शिका में वर्णित सभी प्रकार के जोखिमों जिसमें मुख्य रुप से:–

- **बुवाई/रोपाई के जोखिम से बचाव:** बीमित क्षेत्र को प्रतिकूल मौसम दशाओं के कारण बुवाई / रोपाई के जोखिम से सुरक्षित रखा जाता है।
- **फसल पैदावार के आधार पर/व्यापक आपदा के मामले में:** राज्य सरकार उत्पादन अनुमानों तथा फसल बीमा दोनों के लिए फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर प्राप्त वास्तविक उपज के आधार पर क्षति का बीमा देय होगा।
- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियाँ:** जिन फसलों को फसल कटाई के पश्चात खेत में फैलाना और सुखाना पड़ता है उन्हें ओलावृष्टि, चक्रवाती बारिश और बेमौसम बरसात की विशेष आपदाओं के विरूद्ध फसल कटाई के पश्चात केवल 2 हफ्तों की अधिकतम अवधि के लिए संरक्षण उपलब्ध है।
- **स्थानीय आपदा:** ओलावृष्टि, भूस्खलन, जलभराव, बादल फटना तथा आकाशीय बिजली के कारण प्राकृतिक आग के पहचाने गए स्थानीय जोखिमों के घटित होने के फल स्वरूप हानि/क्षति। प्रभावित कृषक को आपदा के 72 घण्टे के अंदर सीधे बीमा कंपनी के टोल फ्री नम्बर पर अथवा लिखित में अधिकतम 7 दिवस में अपने बैंक के माध्यम से या कृषि विभाग के अधिकारियों के माध्यम से सूचित करना आवश्यक है।

गैरऋणी कृषकों हेतु दस्तावेज:

- आधार कार्ड की प्रति।
- पूर्णत: भरा हुआ प्रस्ताव पत्र।
- जमीन बंटाई का शपत्र पत्र (बटाईदार होने पर)।
- नवीनतम खसरा/खतौनी की नकल।
- बैंक खाते की पास बुक की प्रति जिसमें (IFSC Code) व खाता संख्या अंकित हो या खाते की रद्द (Cancelled) चेक।
- बुवाई प्रमाण पत्र, कृषि या राजस्व विभाग के कार्मिकों द्वारा जारी।

संरक्षण और दावों के लिए पूर्व-अपेक्षाएं:

- आपदा का व्यापक फैलाव (मौसम की समाप्ति पर पैदावार के आधार पर): 'एरिया एप्रोच' के आधार पर संचालित होता है और दावे की गणना राज्य सरकार द्वारा किए गए फसल कटाई प्रयोग के आधार पर की जाती है।
- **दावो का 'ऑन अकाउन्ट' भुगतान:** यह उस फसल के लिए लागू होता है जहां मौसम में अपेक्षित पैदावार <50% होने की संभावना होने पर यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा किया जाता है। सामान्य फसल कटाई/तुड़ाई प्रारम्भ होने से 15 दिनों के पूर्व में प्रतिकूलता घटित होने पर यह प्रावधान लागू नहीं होगा। प्रावधान लागू होने पर अधिकतम देय राशि संभावित दावों की 25% के समान होती है।
- **बचाव/विफल बुवाई/रोपाई/अंकुरण के दावे:** यह व्यापक घटना के कारण सामान्य बुवाई क्षेत्र बीमा इकाई (पटवार वृत) का 75% से अधिक फसल के प्रभावित होने के लिए है। यह प्रावधान राज्य सरकार द्वारा प्रॉक्सी इंडिकेटर्स जैसे कि बरसात के आंकड़े, मौसम संबंधी अन्य आंकड़े, उपग्रह से प्राप्त चित्रों के आधार पर क्षति की अधिसूचना के द्वारा लागू किया जाता है। बीमा होने से पूर्व प्रतिकुलता होने पर प्रावधान लागू होता है। प्रावधान नियत तिथि के भीतर लागू होंगे। दावों का भुगतान प्रावधान लागू होने तथा योजनानुसार प्रीमियम अनुदान की प्राप्ति के बाद 30 दिनों के अंदर कर दिया जाएगा।
- **फसल कटाई/तुड़ाई के बाद की हानियां/स्थानीय जोखिम:** इसका संचालन अलग व्यक्तिगत ज़मीन के आधार पर किया जाता है। आपदा होने पर बीमाधारक द्वारा तुरन्त या 72 घंटों के अंदर सूचना दी जानी चाहिए। सूचना में बीमित फसल और प्रभावित क्षेत्र का विवरण होना चाहिए। साक्ष्य के रूप में पूरी तरह भरा हुआ दावा फॉर्म 7 दिनों के अंदर जमा कराया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत अधिसूचित फसलों की प्रीमियम राशि एवं बीमित राशि का विवरण:

मौसम	जिला	अधिसूचित फसलें	बीमित राशि (रु./हेक्टेयर)	कृषक प्रीमियम (रु./हेक्टेयर)	बीमा कराने की अंतिम तिथि
रबी 2019	बून्दी	धनिया	33,036	1651.80	31 दिसंबर 2019
		चना	36,628	549.42	
		मसूर	36,628	549.42	
		सरसों	31,487	472.31	
		गेहूं	48,124	721.86	
	डूंगरपुर	चना	31,560	473.40	
		गेहूं	53,460	801.90	
	जोधपुर	जीरा	48,000	2400.00	
		चना	27,000	405.00	
		ईसबगोल	25,000	1250.00	
		सरसों	32,000	480.00	
		मेथी	32,000	1600.00	
		तारामीरा	17,000	255.00	
		गेहूं	40,000	600.00	
	जैसलमेर	जीरा	41,840	2092.00	
		चना	29,800	447.00	
		ईसबगोल	19,500	975.00	
		सरसों	33,120	496.80	
		गेहूं	45,550	683.25	
	सीकर	जौ	47,500	712.50	
		चना	34,250	513.75	
		मेथी	29,000	1450.00	
		सरसों	38,750	581.25	
		गेहूं	56,500	847.50	
	टोंक	जौ	34,800	522.00	
		चना	30,900	463.50	
		मसूर	30,900	463.50	
		सरसों	36,700	550.50	
		तारामीरा	20,500	307.50	
		गेहूं	48,400	726.00	
	बांसवाड़ा	चना	48,440	726.60	
		रबी–मक्का	68,250	1023.75	
		गेहूं	65,500	982.50	
	भरतपुर	चना	33,893	508.40	
		सरसों	54,967	824.51	
		गेहूं	71,974	1079.61	
	नागौर	जौ	35,000	525.00	
		जीरा	41,250	2062.50	
		चना	26,000	390.00	
		ईसबगोल	33,500	1675.00	
		मेथी	29,900	1495.00	
		सरसों	30,000	450.00	
		तारामीरा	15,000	225.00	
		गेहूं	41,500	622.50	
	अजमेर	जौ	57,000	855.00	
		जीरा	73,000	3650.00	
		चना	34,500	517.50	
		सरसों	45,000	675.00	
		तारामीरा	20,500	307.50	
		गेहूं	66,000	990.00	

मौसम	जिला	अधिसूचित फसलें	बीमित राशि (रु./हेक्टेयर)	कृषक प्रीमियम (रु./हेक्टेयर)	बीमा कराने की अंतिम तिथि
रबी 2019	जालोर	जीरा	41,000	2050.00	31 दिसंबर 2019
		चना	22,000	330.00	
		ईसबगोल	28,000	1400.00	
		सरसों	31,000	465.00	
		तारामीरा	12,000	180.00	
		गेहूं	41,000	615.00	
	कोटा	धनिया	47,500	2375.00	
		चना	27,250	408.75	
		मेथी	39,500	1975.00	
		सरसों	38,250	573.75	
		गेहूं	46,000	690.00	
	सवाई माधोपुर	धनिया	65,825	3291.25	
		चना	44,700	670.50	
		मसूर	39,750	596.25	
		सरसों	48,000	720.00	
		गेहूं	70,500	1057.50	
	जयपुर	जौ	45,000	675.00	
		चना	26,400	396.00	
		सरसों	36,700	550.50	
		तारामीरा	16,000	240.00	
		गेहूं	58,000	870.00	
	पाली	जौ	32,000	480.00	
		जीरा	43,000	2150.00	
		चना	22,000	330.00	
		ईसबगोल	30,000	1500.00	
		मेथी	30,000	1200.00	
		सरसों	30,000	450.00	
		तारामीरा	15,000	225.00	
		गेहूं	40,000	600.00	
	प्रतापगढ़	जौ	40,000	600.00	
		चना	34,000	510.00	
		ईसबगोल	49,200	2460.00	
		मसूर	31,450	471.75	
		मेथी	43,800	876.00	
		सरसों	35,000	525.00	
		गेहूं	55,000	825.00	
	अलवर	जौ	58,500	877.50	
		चना	46,000	690.00	
		सरसों	56,000	840.00	
		गेहूं	82,000	1230.00	
	झालावाड़	धनिया	52,500	2625.00	
		चना	37,500	562.50	
		मसूर	34,190	512.85	
		मेथी	30,520	1037.68	
		सरसों	37,500	562.50	
		गेहूं	50,000	750.00	
	श्री गंगानगर	जौ	51,146	767.19	
		चना	56,443	846.65	
		सरसों	50,198	752.97	
		तारामीरा	19,486	292.29	
		गेहूं	65,336	980.04	

अंतिम तिथि: **31 दिसंबर 2019**

ईमेल: pmfby.rajasthan@hdfcergo.com

योजना के संबंध में अधिक जानकारी के लिये कॉल करें:

1800 2660 700

गैर ऋणी कृषक PMFBY मोबाइल एप्लीकेशन (App.) के माध्यम से फसल बीमा हेतु स्वयं नामांकन कर सकते है, जिसका लिंक निम्नलिखित है:-
https://play.google.com/store/apps/details?id=in.farmguide.farmerapp.central

एचडीएफसी अर्गो जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। आइआरडीएआइ रेजि. नं. 146। सीआइएन: U66030MH2007PLC177117 । पंजीकृत एवं कॉर्पोरेट ऑफीस: 1ली मंज़िल, एचडीएफसी हाउस, 165-166 बैकबे रेक्लेमेशन, एच. टी. पारेख मार्ग, चर्चगेट, मुंबई - 400 020 । कस्टमर हैपिनेस सेंटर: डी-301, 3री मंज़िल, ईस्टर्न बिज़नेस डिस्ट्रिक्ट (मैग्नेट मॉल), एलबीएस मार्ग, भांडुप (पश्चिम), मुंबई - 400 078 । दावा/पॉलिसी संबंधी पूछताछ के लिये हमें +91 22 6234 6234/+91 120 6234 6234 पर कॉल करें या पॉलिसी की प्रति/कर प्रमाणपत्र/दावे में बदलाव/रेजिस्टर करने और दावे की स्थिति जानने के लिये www.hdfcergo.com पर हेल्प सेक्शन देखें। जोखिम के कारकों, नियमों व शर्तों के विषय में अधिक जानकारी के लिये कृपया बिक्री पूरी करने से पहले सेल्स ब्रोशर/प्रोस्पेक्ट्स ध्यान से पढ़ें। ऊपर दिया गया ट्रेड लोगो एचडीएफसी लिमिटेड और अर्गो इंटरनेशनल एजी की संपत्ति है, जिसका इस्तेमाल कंपनी द्वारा लाइसेंस के अधीन किया जा रहा है। यूआइएन: CSC - Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - HDE-AG-P18-25-V01-17-18, Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana - IRDAN125P0003V01201617। यूआइडी: 3879 ।